रूप-संख्या वि०—185

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 50

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—89

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

10

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 फरवरी, 1995

माघ 24, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 387/सत्रह-वि०—1-1 (क)-17-1995

लखनऊ, 13 फरवरी, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 11 फरवरी, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1995)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 387 (2)/XVII-V-1-1(KA)17-1995

Dated, Lucknow, February 13, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavstha) (Sanshodhan) Adhiniyam 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 11, 1995.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ACT, 1995

(U. P. Act No. 2 of 1995)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 15, 1994.

Amendment of Section 2 of U. P. Act No. 7 of 1972.

2. In Section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) for the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*.

Repeal and Savings

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisons of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

बी० एस० यू० पी०-ए० पी० 279 सा० विधा०—(3576)—1995—850 (मेक०)।